न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ), जालोर

पीठासीन अधिकारी :- श्री चम्पालाल आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं0 :- 55/2017

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. जीतमल पुत्र कुन्दनमल जैन निवासी माण्डवला तहसील जालोर बहैसियत वाद प्रस्तुत करने मुख्तयार 1 ललित कुमार पुत्र जीतमल 2. सुरेश कुमार पुत्र जीतमल 3. महेन्द्र कुमार पुत्र जीतमल जैन निवासी माण्डवला तहसील व जिला जालोर		1. प्रबंधक रिलायन्स कारपरेट, आई.टी.पार्क, प्लॉट नं0 1,2 व 3 गोडिजी बागोडा रोड जालोर 2. प्रबंधक रिलायन्स कारपरेट पार्क, बिल्डिंग नं0 4-5, टी.टी. सी. इण्डट्रीयल एरिया थाना बेलापुर रोड, गन्सोली न्यू मुम्बई महाराष्ट्र। 3. तहसीलदार जालोर।

दावा बाबत आज्ञात्मक निषेधाज्ञा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :-

1. श्री सतपाल पुरोहित, श्री भवानीसिंह सांदू, श्री जोराराम चौधरी वकील (वादीगण)
2. श्री बी.एल. ढाका व श्री जगदीश गोदारा वकील (प्रतिवादी 1 व 2)
3. राजपरोकार (प्रतिवादी 3)

निर्णय

दिनांक :- 15/7/19

वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण सं0 1 से 3 में से वादी सं0 1 की सहमति से उक्त वाद बहैसियत मुख्तियार के जीतमल पुत्र कुन्दनमल जाति जैन निवासी माण्डवला द्वारा पेश किया जा रहा है। वादीगण ललितकुमार, महेन्द्रकुमार, सुरेशकुमार की शामलाती खातेदारी भूमि सरहद मौजा जालोर ए में ख0नं0 800 रकबा 0.82 हे0, ख0नं0 808 रकबा 2.48 हे0, ख0नं0 809 रकबा 0.80 हे0, ख0नं0 810 रकबा 1.17 हे0, ख0नं0 811 रकबा 0.25 हे0, ख0नं0 813 कुल खसरा नम्बरान 6 का कुल रकबा 6.82 हे0 आई हुई है। जिसमें प्रत्येक का 1/3 हिस्सा संयुक्त सहखातेदारी का अविभाजित स्थित है। जिसका मौके पर विभाजन किया हुआ नही है। उक्त वादग्रस्त आराजी शामलाती उपयोग व उपभोग में आ रही है। उक्त भूमि की सार सम्भाल हेतु संपूर्ण खातेदारी में बाउण्ड्रीवाल बनाने की इजाजत तहसीलदार जालोर के आदेश सं0 898 दिनांक 17.07.2007 प्राप्त कर संपूर्ण खातेदारी के तीनों ओर लाखों रूपये खर्च कर 10 वर्ष पूर्व चार दीवारी का निर्माण करवाया था। जो आज भी मौके पर स्थित है। वादीगण की बिना इजाजत रिलायन्स कंपनी प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा उसके मजदुरों द्वारा 4-5 महिने पहले संपूर्ण खसरों की भूमि के उतर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ 1050 फीट लम्बी केबल डाल दी है। जिससे वादीगण की उक्त खातेदारी भूमि में खेती के लिये तथा भविष्य में भू-उपयोग परिवर्तन करने व निर्माण कार्य करने में अवरोध पैदा होता है। प्रतिवादीगण ने वादीगण की उक्त खातेदारी भूमि में केबल बिछाने के लिये वादीगण की दीवार के नीचे से खड्डा खोदकर दीवार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 द्वारा अपनी मनमर्जी से कानून को हाथ में लेकर वादीगण की खातेदारी भूमि में अवैध रूप से अवैध केबल लाईन बिछाई है। जिसकी जानकारी होने पर वादीगण द्वारा अपने अधिवक्ता के मार्फत एक रजिस्टर्ड नोटिस भेजा, परन्तु उक्त नोटिस भेजने के बावजूद भी प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 द्वारा आज दिन तक वादीगण की खातेदारी भूमि में अवैध रूप से जो केबल बिछाई गई है उसे अपने खर्चे से नही हटाया गया है। जिस हेतु बर खिलाफ प्रतिवदीगण सं0 1 व 2 के खिलाफ इस अमर की आज्ञात्मक निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वादग्रस्त खातेदारी में अवैध रूप से जो केबल बिछाई गई है। उसे प्रतिवादीगण के खर्चे से हटाये जाने हेतु डिक्री फरमाई जावे तथा इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई

15/7/19
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जालोर

Scanned by CamScanner

जावे कि वादग्रस्त खातेदारी भूमि में अवैध रूप से तोड-फोड न तो स्वयं करे न ही अन्य से करावे। प्रतिवादीगण द्वारा अवैध रूप से केबल बिछाई गई है। जो पूर्णतया अवैध है। वर्तमान में वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली है। वादीगण जहां केबल बिछाई गई है वहां कास्त होने करने से वंचित हो गये है। प्रतिवादीगण 1 व 2 द्वारा किये गये उक्त कृत्य से वादीगण को कुल एक लाख रूपये का नुकसान होता है जो आर्थिक क्षति के रूप में प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 से वादीगण को दिलवाई जावे। प्रतिवादी सं0 3 को पक्षकार बनाया गया है जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है। उनके विरूद्ध वाद पत्र में कोई अनुतोष नही चाहा गया है। मात्र भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है। यद्यपि नोटिस से उन्मुक्ति का का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। बिनायदावा आज से 10 वर्ष पूर्व पैदा हुआ जब वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में तीनों ओर चार दीवारी का निर्माण करवाया तथा 4.5 माह पूर्व वादीगण की खातेदारी भूमि में अवैध रूप से केबल बिछा दी तथा अंतिम रूप से तब पैदा हुआ जब वादीगण के पिता जालोर आए व आराजी को देखने गये तब केबल बिछाई हुई व दीवार तोडी हुई थी, दिनांक 24.04.2017 को मौके पर जाकर फोटो लिये व अपने अधिवक्ता के मार्फत दिनांक 29.04.2017 को प्रतिवादीगण 1 व 2 को लगाई गई अवैध केबल का नोटिस प्रेषित किया।

अतः बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के नीचे लिखे अमुराह की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि –

(अ) यह है कि बहक वादीगण बर खिलाफ प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के इस अमर की आज्ञात्मक निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित खातेदारी आराजी में अवैध रूप से जो केबल खातेदारी भूमि के अन्दर की तरफ बिछाई गई है उसे प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 से हटाई जाने की निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वादीगण की खातेदारी की आराजी में प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 वादीगण के हक हिस्से में दखलअंदाजी न तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे तथा खातेदारी भूमि में अवैध रूप से तोड-फोड न करे।

(ब) यह है कि खर्चा हर्जा वाद वादीगण को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 से दिलवाया जावे।

(स) यह है कि अन्य अनुतोष जो वाकिफ हो वह वादीगण के हक में अता फरमावे।

वादीगण के वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सीपीसी के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 3 तहसीलदार जालोर को पक्षकार सुनियोजित किया है। प्रस्तुत वाद में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा जोर जबरदस्ती केबल डाल दी है। इस स्थिति में वादी के पास नोटिस देकर 2 माह की अवधि व्यतित करके वाद प्रस्तुत करते है तो वाद प्रस्तुत करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। इसलिये इस वाद में नोटिस दिये बगैर ही वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि नोटिस से उन्मुक्ति का आदेश प्रदान करावे।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये समन्न तलब किया। प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 की तरफ से वकील श्री बी0एल0 ढाका व श्री जगदीश गोदारा ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर दिये गये परन्तु जवाबदावा पेश नही करने पर जवाबदावा बंद किया गया। प्रतिवादी 3 का जवाबदावा भी प्रस्तुत नही हुआ है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत् 2068-2071 ई0एक्स , जनरल पावर ऑफ एटोरनी की फोटो प्रति ई0एक्स 2 ए, नकल नोटिस आज तरफ वकील वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 व 2 ई0एक्स 8, असल फोटो ई0एक्स 3, 4, 5, 6, 7 प्रस्तुत किये है। जुबानी साक्ष्य में वादी महेन्द्रकुमार का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ है। वादी महेन्द्रकुमार के पी0डब्लू0 1 के बयान करवाये गये है। प्रतिवादीगण 1 व 2 को कई अवसर दिये जाने के बावजूद शहादत प्रस्तुत नही करने से शहादत वादीगण बन्द की गई। इस वाद में प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप अर्थात वाद के तथ्यों के विरूद्ध कन्टेस्ट/प्रतिकथन प्रस्तुत नही करने से वाद में तनकीयात कायम नही की गई व पक्षकारान की शहादत रिकार्ड पर ली गई, वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी शहादत व जुबानी शहादत के विरूद्ध प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 द्वारा कोई शहादत सबूत नही करने से शहादत प्रतिवादीगण बन्द की गई। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की प्रस्तुत जुबानी शहादत के विरूद्ध जिरह भी नही की गई है। फलस्वरूप वाद में अंकित बहस समाप्त की गई।

बहस विद्वान अभिभाषकगण उभय पक्ष की सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन व उन पर मनन किया गया।

सहायक ...
(एस.डी. ओ.जालोर)

Scanned by CamScanner

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत 2068-2071 ई0एक्स0पी0 1 के इन्द्राजात अनुसार वादीगण ललित कुमार 1/3, महेन्द्र कुमार 1/3, सुरेश कुमार 1/3 हिस्से के विवादित आराजी के संयुक्त सह खातेदारर दर्ज है। ई0एक्स0 2 "ए" के अंकनों अनुसार वादी ललित कुमार द्वारा विवादित आराजी के संबंध में वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु जीतमल को जरिये आम मुख्तियार नियुक्त किया है। जिसके आधार पर वादी ललित कुमार की तरफ से जीतमल ने यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है। नकल नोटिस द्वारा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के अनुसार वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को नोटिस दिया है कि बिछाई गई केबल प्रतिवादीगण 15 दिवस में हटावे व हर्जाना का भुगतान करे। अन्यथा सक्षम न्यायालय में में फौजदारी व सिविल कार्यवाही की जावेगी। यह नोटिस ई0एक्स0पी0 8 है। ई0एक्स0 3 से 7 तक विवादित आराजी व केबल बिछाई गई है। उस स्थल के फोटो (छायाचित्र) दे जिसमें केबल बिछाने के निशानात व चार दिवारी को खुर्द बुर्द करने के दृश्य विद्यमान है। जुबानी शहादत में वादी महेन्द्र कुमार द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया व शपथ पत्र के आधार पर बयान दर्ज करवाये है के अवलोकन अनुसार शपथ पत्र में वर्णित तथ्य वादीगण के वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की ताहिद करते है। मौखिक बयान पी0डब्ल्यू0 1 में भी शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों व वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की ताहिद की गई है। पत्र कमांक/राजस्व/17/898 दिनांक 17.07.07 द्वारा तहसीलदार जालोर ने विवादित आराजी के चारों तरफ चार दीवारी निमार्ण की स्वीकृति की गई है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के बयानों के विरूद्ध जिरह नही की एवं प्रस्तुत दस्तावेजी व जुबानी शहादत के विरूद्ध कोई शहादत प्रस्तुत नही की है।

तद्नुसार प्रस्तुत दस्तावेजी शहादत व वादपत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार वादीगण विवादित आराजी के संयुक्त अविभाजित कब्जे कास्त व उपयोग उपभोग की आराजी के खातेदार है। जिसके तीन तरफ तहसीलदार जालोर के पत्रांक/राजस्व/07/898 दिनांक 17.07.07 द्वारा चार दीवारी निकालने की स्वीकृति प्राप्त कर चार दीवारी स्थापित की थी। जो आज भी मौके पर मौजुद है। प्रस्तुत छायाचित्रों ई0एक्स0पी0 3 से 7 में यह चार दीवारी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। उसमें केबल बिछाने के निशानात स्पष्ट दर्शित हो रहे है व चार दीवारी को भी खुर्द बुर्द किया जाना दर्शित हो जाता है। जिसे रोके जाने हेतु वादीगण द्वारा अपने अधिवक्ता के मार्फत प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को नोटिस देकर केबल हटाने व अवैध रूप से केबल बिछाई है को हटाने हेतु आगाह किया है। परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र में वर्णित तथ्यों व उक्त नोटिस में वर्णित तथ्यों के विरूद्ध कोई प्रतिकथन या कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किये है। फलस्वरूप यह स्पष्ट हो जाता है कि वादीगण के संयुक्त सह खातेदारी की उक्त विवादित आराजी में बिना किसी विधिक स्वीकृति के वादीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि में केबल बिछाई व इस विवादित भूमि के कृषिक स्वरूप को खुर्द बुर्द कर चार दीवारी को भी खुर्द बुर्द किया है। अतः प्रतिवादीगण 1 व 2 के इस अवैधानिक कृत्य को रोके जाने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के प्रावधानों के अनुसार उक्त विवादित भूमि में वादीगण के कब्जे कास्त व उसके चारों ओर निर्मित चार दीवारी को खुर्द बुर्द करने से रोके जाने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना तथा केबल हटाने के लिए आदेशित किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आज्ञा

उपरोक्त विवचेन के फलस्वरूप दावा वादीगण डिक्री किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के इस अमर की जाती है कि वे सरहद मौजा जालोर ए के वादीगण के खातेदारी की आराजी ख0नं0 800, 808, 809, 810, 811, 813 कुल खसरा नं0 6 कुल रकबा 6.82 हे0 वर्णित खातेदारी आराजी में अवैध रूप से जो केबल खातेदारी भूमि के अन्दर बिछाई गई है उसे प्रतिवादी सं0 1 व 2 से हटाई जाने के आदेश पारित किये जाते है एवं इस आराजी के चारों तरफ निर्मित चार दीवारी को खुर्द बुर्द न करे व न किसी अन्य से करावे एवं वादीगण के कब्जे कास्त में अन्य प्रकार से कोई दखलअंदाजी नही करे न अन्य से करावे। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 15/7/19 को सुनाया गया।

15/7/19

(चम्पालाल आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर (एसडीओ)
जालोर

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Cude, Appendix 'D'-1)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मुकाम जालोर बइजलास श्री चम्पालाल जीनगर आर0ए0एस0

राजस्व वाद सं0 55/17

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. जीतमल पुत्र कुन्दनमल जैन निवासी माण्डवला तहसील जालोर बहैसियत वाद प्रस्तुत करने मुख्तयार 1 ललित कुमार पुत्र जीतमल 2. सुरेश कुमार पुत्र जीतमल 3. महेन्द्र कुमार पुत्र जीतमल जैन निवासी माण्डवला तहसील व जिला जालोर		1. प्रबंधक रिलायन्स कारपरेट, आई.टी.पार्क प्लॉट नं0 1, 2 व 3 गोडिजी बागोडा रोड जालोर 2. प्रबंधक रिलायन्स कारपरेट पार्क, बिल्डिंग नं0 4-5, टी.टी.सी. इण्डट्रीयल एरिया थाना बेलापुर रोड, गन्सोली न्यू, मुम्बई महाराष्ट्र। 3. तहसीलदार, जालोर।

दावा बाबत आज्ञात्मक निषेधाज्ञा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बकुलाय फरीकेन ब हाजरी वकील वादीगण श्री सतपाल पुरोहित, श्री भवानीसिंह सांदू, श्री जोराराम चौधरी एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण श्री बी.एल. ढाका, श्री जगदीश गोदारा एडवोकेट (प्रतिवादी 1 व 2) व राजपेरोकार (प्रतिवादी 3) मिनजानिब मुद्दयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि मौजा जालोर ए के वादीगण के खातेदारी की आराजी ख0नं0 800, 808, 809, 810, 811, 813 कुल खसरा नं0 6 कुल रकबा 6.82 हे0 वर्णित खातेदारी आराजी में अवैध रूप से जो केबल खातेदारी भूमि के अन्दर बिछाई गई है उसे प्रतिवादी सं0 1 व 2 से हटाई जाने के आदेश पारित किये जाते है एवं इस आराजी के चारों तरफ निर्मित चार दीवारी को खुर्द-बुर्द न करे व न किसी अन्य से करावे एवं वादीगण के कब्जे कास्त में अन्य प्रकार से कोई दखलअंदाजी नही करे न अन्य से करावे। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26. माह 7. सन् 2017. को जारी की गई।

मुहर

(चम्पालाल जीनगर)
सहायक कलेक्टर
(एसडीओ) जालोर

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जालोर

Scanned by CamScanner

मुद्दई		रुपया	पै.	मुद्दायला		रुपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा	.....			स्टाम्प वकालतनामा	.....		
स्टाम्प वकालतनामा	.....			स्टाम्प अरजी	.....		
स्टाम्प वजह सबूत	.....			महनताना वकील	.....		
महनताना वकील	.....			खर्चा गवाहान	.....		
खर्चा गवाहान	.....			फीस कमिश्नर	.....		
फीस कमिश्नर	.....			बाबत इजराय हुकमनामा	.....		
बाबत इजराय हुकमनामा	.....			मुतफर्रिक	.....		
मुतफर्रिक	.....			मीजान	.....		
मीजान	.....				.....		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

(चम्पालाल जीनगर)
सहायक कलेक्टर
(एसडीओ) जालोर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Champalal Jeengar
Date: 2019.11.30 17:30:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: